भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार

<u>दीवानी अपील सं. .....वर्ष 2021</u>

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या.....वर्ष 2021 से उद्भूत)

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) डी. संख्या 1855 वर्ष 2020 से उद्भूत)

विश्वबंधु ... अपीलार्थी

बनाम

श्री कृष्ण और एक अन्य। ... प्रत्यर्थीगण

<u>निर्णय</u>

<u>न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित</u>

1. विलंब माफ किया गया।

2. अनुमति प्रदत्त की गयी।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

3. इन अपीलों में निम्न को चुनौती दी गईः (i) एफएएफओ (आदेश से प्रथम अपील) सं. 2473 वर्ष 2005 में उच्च न्यायालय[1] द्वारा पारित 21.04.2006 के निर्णय और आदेश; और (ii) 2005 के उक्त एफएएफओ सं. 2473 में दाखिल सीएमआरए (दीवानी प्रकीर्ण रिकॉल प्रार्थना–पत्र) सं. 107616/2009 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 18.10.2019 का आदेश।

4. वाद के प्रत्यर्थी संख्या 2 ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन), मैनपुरी, उत्तर प्रदेश की अदालत में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें ब्याज सहित अन्य बातों के साथ धन की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया गया था कि वाद में प्रतिवादी यानी प्रत्यर्थी संख्या 1 उसके द्वारा दिए गए 2,400/– रुपये वापस करने में विफल रहा था, जो उसने ग्राम पंचायत मैनपुरी ग्रामीण, तहसील और जिला मैनपुरी में नगला रते में स्थित गाटा संख्या 1616/0.93 एकड़ की संपत्ति की बिक्री के लिए भागतः विक्रय प्रतिफल के रूप में दिया था। दिनांक 25.05.1993 को मुकदमा दायर किया गया था और जैसा कि पंजीकृत डाक द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को भेजा गया समन 'लेने से मना करने' के डाक समर्थन के साथ वापस प्राप्त हुआ था, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.1997 निम्न थाः–

> "वाद पुकारा गया।वादी की ओर से उसके अधिवक्ता हाजिर हैं। प्रतिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी को भेजा गया पंजीकृत नोटिस, इनकार की टिप्पणी के साथ प्राप्त हुआ था।नोटिस को पर्याप्त माना जाता है।प्रतिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है, प्रतिवादी को तदनुसार एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। एकपक्षीय कार्यवाही के लिए दिनांक 01.04.1997 को पेश हो।"

---

1. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

इसके बाद मामले को कुछ तारीखों पर स्थगित कर दिया गया और अंत में 16.09.1997 को 9% ब्याज के साथ 2,400/–रू. की धनराशि प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में एकपक्षीय डिक्री पारित की गई।

5. दिनांक 16.09.1997 की डिक्री के निष्पादन की मांग करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर आवेदन में, 0.93 एकड़ की संपत्ति जो विक्रय के करार की विषय वस्तु थी, को दिनांक 29.05.1999 की कुर्की नोटिस द्वारा कुर्क करने की मांग की गई थी। बाद में, संपत्ति को अमीन द्वारा दाखिल एक रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 04.12.1999 के आदेश द्वारा कुर्क किया गया था। रिपोर्ट से पता चलता है कि चूंकि निर्णीतऋणी यानी प्रत्यर्थी संख्या 1 को तलाशी पर नहीं पाया जा सका, प्रत्यर्थी संख्या 1 के निवास स्थान पर मुनादी करायी गयी।

6. 29.01.2000 को विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः–

> "मुकदमा आज प्रस्तुत हुआ।वाद पुकारा गया।डिक्रीधारी अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित है।संपत्ति की कुर्की की रिपोर्ट दर्ज की जाती है।डिक्रीधारी 15 दिनों के भीतर आदेश XXI नियम 66 के तहत नोटिस के लिए कार्यवाही करेगा।"

7. दिनांक 04.04.2000 को आदेशिका तामीलकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रभाव का एक रिपोर्ट दाखिल किया गया थाः

> "आज 02.04.2000 को मैं नगला रते जिला मैनपुरी आया और श्री कृष्ण को तलाशा और उसे एक नोटिस दिया और इसकी प्राप्ति को नोटिस की प्रति पर हस्ताक्षर करके उनके द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है।"

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

8. उपरोक्त परिस्थितियों में, निष्पादन अदालत ने 06.12.2000 को संपत्ति की बिक्री का वारंट जारी किया, जिसके तहत संपत्ति को 16.12.2000 को नीलाम करने का निर्देश दिया गया था और वारंट को 23.12.2000 को या उससे पहले विधिवत निष्पादित किया जाना था। तदनुसार, 16.12.2000 को संपत्ति को नीलामी के लिए रखा गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता ने 1,25,000/–रू. की बोली के साथ सबसे अधिक की बोली लगायी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अपीलकर्ता द्वारा राशि का 1/4 वां हिस्सा जमा किया गया था।

9. दिनांक 19.12.2000 को प्रत्यर्थी संख्या 1, पहली बार अदालत में पेश हुआ और सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') के आदेश IX नियम 13 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें प्रार्थना की गई कि एकपक्षीय डिक्री दिनांक 16.09.1997 को अपास्त किया जाए।

आवेदन में यह अभिकथन किया गया थाः

> "... आवेदक ने वादी के पक्ष में विक्रय के लिए एक करार को निष्पादित किया और आवेदक आज तक इसे निष्पादित करने के लिए हमेशा तैयार था। आवेदक के पास पैसे नहीं हैं। यह कि वादी ने अदालत को गुमराह करके 16.09.1997 को अपने पक्ष में एकपक्षीय निर्णय पारित कराया और माननीय न्यायालय के समक्ष एक निष्पादन याचिका दायर की। यह कि इस निष्पादन अदालत से कोई समन या नोटिस जारी नहीं किया गया। यह कि वादी ने निष्पादन की कार्यवाही को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मैनपुरी की अदालत में स्थानांतरित कराया, जो वहां लंबित है, जिससे आवेदक को अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ रहा है और आवेदक ने जानबूझकर चूक नहीं की है और आवेदक को मुकदमे की साथ ही साथ निष्पादन की कार्यवाही के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। एकपक्षीय निर्णय के कारण आवेदक को अपूरणीय क्षति और हानि का सामना करना पड़ रहा है। न्याय के हित में,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

दिनांक 16.09.1997 के निर्णय और डिक्री को अपास्त किया जाना चाहिए। आवेदिक को वादी के पति द्वारा 16.12.2000 को दी गई जानकारी से मुकदमे और निष्पादन की कार्यवाही का ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए यह आवेदन समय पर है।"

10. उपरोक्त आवेदन 05.07.2005 को अपर जिला न्यायाधीश, मैनपुरी द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया गया थाः–

"यह भी नोट किया जाता है कि एकपक्षीय निर्णय और डिक्री पारित करने के बाद प्रत्यर्थी ने निष्पादन कार्यवाही शुरू की जो 04/1998 के रूप में पंजीकृत थी। इस निष्पादन कार्यवाही में आवेदक पर सम्मन की तामील पर्याप्त रूप से की गई थी। इसके बावजूद आवेदक ने 19.12.2000 को बहाली का आवेदन दायर किया। दिनांक 02.04.2000 को निष्पादन कार्यवाही के ज्ञान से, वर्तमान आवेदन निष्पादन कार्यवाही के लम्बित रहने के बारे में ज्ञान से 8 महीने से अधिक समय के बाद दायर किया गया, जिससे यह पता चलता है कि इसका विशिष्ट ज्ञान होने के बावजूद, उन्होंने परिसीमा की अवधि के बाद यह आवेदन दायर किया है और आवेदन में जो कारण दिखाया गया है, वह पूरी तरह से गलत, तुच्छ और निराधार है। यह कि दिनांक 04.04.2000 के आदेशिका तामीलकर्ता की रिपोर्ट से इनकार करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया है जिसमें उसने कहा था कि दिनांक 02.04.2000 को आवेदक को विधिवत रूप से समन दिया गया था और न ही उक्त रिपोर्ट में हेरफेर किया जाना है।"

11. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने व्यथित होकर, 05.07.2005 के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एफएएफओ 2473/2005 दायर किया।उक्त एफएएफओ के लम्बित रहने के दौरान, निष्पादन संख्या 4/1998 में संबंधित अदालत द्वारा पारित 10.01.2006 के आदेश के आधार पर 30.03.2006 को अपीलकर्ता के पक्ष में विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

12. 21.04.2006 को एफएएफओ संख्या 2473/2005 को उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अनुमति दीः–

> "वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता सतर्क नहीं प्रतीत होता है जैसा कि उसे होना चाहिए था, फिर भी समग्र आचरण से उसे एक गैर–जिम्मेदार मुकदमेबाज के रूप में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।इसके अलावा , अपीलकर्ता की अनुपस्थिति के कारण वादी प्रतिवादी को होने वाली असुविधा की भरपाई उचित लागत लगाकर की जा सकती है। न्याय हित में और मामले की विशेष परिस्थितियों में, मैं आक्षेपित निर्णय और डिक्री को अपास्त करता हूँ।
>
> इस अपील के फलस्वरूप 1000/– रुपये की लागत के साथ अनुमति दी जाती है। विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह पक्षकारों को अवसर प्रदान करने के बाद वाद को गुणावगुण के आधार पर निर्णीत करे।"

13. इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने सीएमआरए संख्या 107616/2009 को इस आधार पर वापस बहाल करने की मांग की कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को दिनांक 17.02.1997 से कार्यवाही की पूरी जानकारी थी और उसने आशयपूर्वक व जानबूझकर मामले में पेश होने और प्रतिवाद करने से परहेज किया था। हालाँकि 18.10.2019 के अपने आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने आवेदन को खारिज कर दिया गया था, यह देखते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21.04.2006 के आदेश के बाद, वाद को पत्रावली पर पुनः बहाल कर दिया गया था और वाद–बिन्दु पहले से ही विरचित थे।

14. दिनांक 21.04.2006 और 18.10.2019 के ये दो आदेश वर्तमान में चुनौती के अधीन हैं।

15. इस न्यायालय द्वारा पारित 20.02.2020 के आदेश द्वारा वर्तमान अपील में नोटिस जारी करते हुए, आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

16. हमने अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायणन और प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार यादव को सुना।

17. वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री शंकरनारायणन द्वारा कहा गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को हमेशा कार्यवाही के बारे में पता था और उसने जानबूझकर मामले में पेश होने और प्रतिवाद करने से परहेज किया था; संहिता के आदेश IX नियम 13 के तहत प्रार्थना–पत्र में उसके रुख से पता चलता है कि वह मूल वादी के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए तैयार थे और उसके पास भागतः प्रतिफल के रूप में उसके द्वारा प्राप्त राशि को चुकाने के लिए कोई पैसा नहीं था। यह कहा गया था कि एक नीलामी क्रेता के रूप में अपीलकर्ता ने सभी कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन किया था और उसके पक्ष में विक्रय प्रमाण–पत्र भी जारी किया गया था।

18. दूसरी ओर, विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार यादव ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और यह कि मुकदमे की फाइल को पुनःस्थापित कर दिया गया है, मामले को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

19. पंजीकृत डाक द्वारा जारी किए गए सम्मन को इनकार करने के डाक समर्थन के साथ वापस प्राप्त किया गया था, जैसा कि 19.02.1997 के आदेश से स्पष्ट होगा।संहिता के आदेश V नियम 9 के उप–नियम (5) में कहा गया है कि यदि प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता ने सम्मन वाले डाक लेख को लेने से इनकार कर दिया था, तो सम्मन जारी करने वाली अदालत यह घोषणा करेगी कि सम्मन विधिवत रूप से प्रतिवादी को तामील हो गया था। इस प्रकार 19.02.1997 का

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आदेश पूरी तरह से कानूनी अपेक्षाओं के अनुरूप था। थोड़ा अलग संदर्भ में,सीसी अलावी हाजी बनाम पलापेट्टी मोहम्मद और एक अन्य[2] में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 27 के प्रभाव पर विचार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां की:–

> "14. धारा 27 इस उपधारणा को जन्म देती है कि नोटिस की तामील तब प्रभावी हो गई है जब इसे पंजीकृत डाक द्वारा सही पते पर भेजा जाता है। उक्त उपधारणा के मद्देनजर, जब यह कहा गया है कि सम्मनित व्यक्ति(ड्रॉअर) के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा एक नोटिस भेजा गया है, तो परिवाद में आगे प्रकथन करना अनावश्यक है नोटिस बिना तामील हुए लौटने के बावजूद, यह तामील हुई मानी जाती है या पावती (जिसे भेजा गया है) को नोटिस का ज्ञान होना माना जाता है। जब तक पावती (जिसे भेजा गया) द्वारा इसके विपरीत साबित नहीं किया जाता है, तब तक नोटिस की तामील को उस समय पर प्रभावी माना जाता है जिस समय पत्र कारोबार के सामान्य अनुक्रम में परिदत्त किया गया होगा। यह न्यायालय पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुका है कि जब पंजीकृत डाक द्वारा कोई नोटिस भेजा जाता है और उसे "इनकार" या "घर में मौजूद नहीं" या "घर में तालाबंद" या "दुकान बंद" या "पावती जिले में नहीं" के डाक पृष्ठांकन के साथ लौटा दिया जाता है, तो सम्यक तामील की उपधारणा की जानी चाहिए।[जगदीश सिंह बनाम नत्थू सिंह[3]: मध्य प्रदेश राज्य बनाम हीरालाल और अन्य[4] और वी. राजा कुमारी बनाम पी. सुब्बारामा नायडू और एक अन्य[5] द्वारा]....."

---

2. एआईआर 2007 एससी (सप्लीमेंट) 1705

3. एआईआर 1992 एससी 1604

4. (1996) 7 एससीसी 523

5. (2004) 8 एससी 774

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

20. एकपक्षीय डिक्री के पारित होने के बाद भी, 04.04.2000 को आदेशिका तामीलकर्ता द्वारा दाखिल रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को नोटिस तामील की गयी थी जिसे नोटिस की प्रति पर हस्ताक्षर करके उसके द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया था। इस तरह की जानकारी के बावजूद, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दिसंबर, 2000 में संपत्ति को नीलाम होने दिया। नीलामी के बाद ही, उसने संहिता के आदेश IX नियम 13 के तहत प्रार्थना पत्र दायर किया। इसलिए उच्च न्यायालय ने 21.04.2006 के अपने आदेश में सही ही निर्धारित किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 सतर्क नहीं था। फिर भी, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में राहत प्रदान की।

21. उपरोक्त विशेषताओं और इस तथ्य के आलोक में, कि नीलामी करने की अनुमति दी गई थी, प्रत्यर्थी संख्या 1 को प्रार्थना की गयी किसी भी राहत का दावा करने से वंचित कर दिया गया था। इसके अलावा, नीलामी में कार्यवाही पूरी होने के बाद, अपीलकर्ता के पक्ष में विक्रय प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया था।

22. इसलिए, हम इन अपीलों की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित 21.04.2006 और 18.10.2019 के आदेशों को अपास्त करते हैं और संहिता के आदेश IX नियम 13 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दाखिल प्रार्थना–पत्र को खारिज करते हैं। लागत के लिए कोई आदेश नहीं होगा।

.....

[न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित]

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

.....

[न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट]

नई दिल्ली;

29 सितंबर, 2021

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।